IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 4.819
Volume 7, Issue 1, July 2020

e/;dkyhu Hkkjr e: oSfdx ,o foRr 0;oLFkk dh IkFkdrk % ¼ckcj l: vkjxtc rd ,d fo'k'k lUnHkZ e½

Mk- jhrk flg
vfl0 ikQslj bfrgkl
ifMr jkey[ku "kDy jktdh; ih th dkyt] vkykiqj] vEcsMdjuxj
ritasingh806@gmail.com

Ikjk'k

भारत में वैकिंग एवं मुद्राव्यवस्था का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। मुगलों के भारत में आगमन के बहुत समय पूर्व से ही यह प्रणाली भारत में विद्यमान थी। मुगलों के शासन की व्यवस्था के साथ–साथ ही इस प्रणाली का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि मुगलकाल में अनेक नगरों का भी विकास हुआ जिनमें आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद आदि प्रमुख थे, नगरो के विकास का मुख्य कारण किसानों का नगरों के जीवन के प्रति आकर्षित होना तथा व्यापार व वाणिज्य की उन्नति होना था। मुगलकाल में तीन प्रकार के सिक्कों का चलन था।

1& Iksus dh eqgj 2& pkanh dk :Ik;k 3& rkacs dk nke

मुगलकालीन स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि मुगलकाल में मुद्राओं का नियंन्त्रण विभिन्न टकसालों के माध्यम से किया जाता था। आइने अकबरी में ऐसी लगभग 42 टक सालों का उल्लेख मिलता है। इन टकसालों में छाये जाने वाले सिक्कों पर टकसाल का नाम तथा ढलाई का वर्ष अंकित है।

मुगलों की मुद्राएं अपनी कलात्मकता धातु की शुद्धता भार की पूर्णता के सन्दर्भ में उच्च स्तर की प्राप्त रही थी। मुद्रा सोने, चॉदी तथा तावें की ढाली जाती थी। दिल्ली की शाही टकसाल के अतिरिक्त प्रान्तीय टकसालें भी थी। सिक्का (मुद्रा) ढलाई के लिए प्रयुक्त होने वाले स्वर्ग और चॉदी का विदेशों में आयात करना पड़ता था।

मुगलकाल में मुद्रा प्रणाली उन्नत पर थी। सिक्कों की ढलाई, उनका आकार वजन, एवं उन पर चित्रकारी इत्यादि के सन्दर्भ में मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली सुव्यस्थित थी। 1575 ई0 में सोने के सिक्कों को ढालने के लिए चार टकसालें, चॉदी के सिक्कों को ढालने के लिए 14 टकसालें तथा तॉवे के सिक्कों को ढालने के लिए 42 टकसालें थी। मुगलकालीन वैकिंग व्यवस्था में निम्न प्रकार के सिक्के अध्याधिक प्रचलित थे।

मुहर, शंसब, इलाही, रूपया, जलाली, दाम, जीतल निसारएवं आना आदि। आना सबसे छोटा सिक्का होता था। जो एक आना बराबर 6.25 पैसे = 6.25×4=25 पैसे = 25×4=100 पैसे बराबर एक रूपया वर्तमान का। मुगलकालीन स्त्रोतो से एक सुचारू एवं व्यवस्थित वैकिंग की जानकारी मिलती है। मुगलकाल में भू राजस्व की नगद वसूली की व्यवस्था की गई थी। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य के गॉव–गॉव में सर्राफो का आविर्भाव हुआ। वास्तव में वैंकिग व्यवस्था का आधार ये सर्राफ ही थे। जो गॉवों में मुद्रा का वितरण करते थे।

मध्यकालीन वित्यव्यवस्था भी एक सुचारू व्यवस्था ली। जो प्रत्येक फसल प्रतिबीघा औसत ऊपज माना जाता था। और इसी को आधार मानकर वित्यव्यवस्था को सुद्रण किया जाता था। आड़ने अकबरी में इन आकड़ों को सुरक्षित रखा है जो सिद्ध करते है कि अकबर ने इन दरों को स्वीकार किया और उसी के आधार पर मुगलकालीन वित्तव्यवस्था का आधार तैयार किया

IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal

Impact Factor: 4.819

Volume 7, Issue 1, July 2020

गया। वित्त व्यवस्था का आगे चलकर मनरावदारी व्यवस्था में परिवर्तित हुआ। अकबर के शासन के दशवें वर्ष में प्रत्येक मौसम के लिए मंगाए हुए मूल्यों का इकाई के अनुसार वर्गीकृत किया और इस प्रकार विभिन्न फसलों का औसत मूल्य प्राप्त किया गया। इसके लिए नकदी सूची तैयार की गई। यह निर्धारित किया गया कि किस फसल से कितनी नगद वसूली की जायेगी। कालान्तर में यह व्यवस्था मात्र तीन वर्ष चली। पुनः नई व्यवस्था के लिए सूची तैयार की गई जो मनरादारी के रूप में आस्तित्व में आयी।

अतः इन दिनों में जब राजस्व की अधिकता हो गयी तो शासन के 13वें वर्ष में नये दीवान शिहाबुद्दीन, ने हर मौसम में सर्वेक्षण और भू राजस्व निर्धारण की बोझिल प्रणाली का त्याग करने का निर्णय कर राजा सम्राट से अनुमति ली जिससे किसानों को और राजस्व अधिकारियों को अधिक समस्या से निजात मिल सकी। उसने कृषकों द्वारा अतीत के कई वर्षों में दिये हुए वास्तविक भू राजस्व को लेकर उसका वार्षिक औसत निकाला वहीं माँग प्रत्येक किसान के लिए नियत कर दी। इससे हर मौसम मे सर्वेक्षण और अभिलेखन की आवश्यकता समाप्त हो गई और उसमें गल्ले के रूप में राजकीय माँग को नकदी माँग में परिवर्तन करने की कोई कार्यवाही अपेक्षित रहीं थी।

शासन के पन्द्रहवें वर्ष एक दूसरा परिवर्तन किया गया। जिसे तकसी मुलमुल्क कहा गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परगना के कानूनगो को सम्बन्धित क्षेत्र का तकसी मुलमुल्क तैयार करके मंत्रालय में भेजने का आदेश दिया गया। वहाँ राजस्व मंत्रालय में (जोता बोया जाने वाला क्षेत्र) अनुमान से और गल्ले के रूप में सरकारी मांग को नगदी मांग में परिवर्तन के लिए ? संगणना से नए सिरे से भू राजस्व नियत किया गया। जब खालसा भूमि में तसक दरें अपनाई गई तब विभिन्न किसानों के अधिकार की भूमि के अभिलेखों का संकलन बन्द हो गया। शेर खॉ द्वारा लिया जाने वाला भू राजस्व समान्यता या प्रचलित था और किसानों तथा सेना की सुविधा के लिए उसका मूल्य नकदी के रूप में लिया जाता था। अकबर के अब तक सभी परीक्षण शेरखॉ के समय की ऊपज के रूप में वसूल की हुई दरों में रूपातंरण से सम्बन्धित थे। कोई ऐसा स्त्रोत (संकेत) नहीं है कि औसत स्थानीय ऊपज का पता लगाने के उद्देश्य से परगनों में कोई प्रयास किया गया है। पटवारी करणिक (कानूनगो) लोग हर वर्ष जोते बोये हुए क्षेत्रों के पूरे व्योरे भेजते थे और अनाज की मांग को नकदी मॉग में रूपान्तरित करने के लिए दर का सुझाव देते थे। जान पढ़ता है दरों को लागू करने के लिए राजस्व मंत्रालय सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करता था। परन्तु यह प्रणाली बहुत दिनों तक नहीं चली। दरों के रूपान्तरण के लिए सम्राट की स्वीकृत लेने में समय लगता था और कभी–कभी इसमें विलम्ब होता था। एक समान दरें लागू करने के लिए परगने बहुत उपयुक्त इकाईयां नहीं थे। यह दर केवल औसत हो सकती थीं और इसलिए यह आवश्यक नहीं था कि वह परगना के सब भागों के लिए न्यायोचित हों।

चौबीसवें वर्ष में जब्ती प्रणाली का आरम्भ किया जा अनुवर्ती वर्षों में अनुसरण करने के लिए आदर्श का काम देता था। " पन्द्रहवें वर्ष के आरम्भ से 24वें वर्ष तक की वसूली की दरों का योग किया गया और दशवॉ भाग वार्षिक राजस्व निर्धारित किया गया। पिछले दस वर्षो के राजस्व दरों का औसत न निकाल कर दस्तूरों में पिछले दस वर्षों के प्रचलित मूल्यों का औस्त निकाला गया और इस प्रकार विभिन्न फसलों के जो मूल्य प्राप्त हुए वे ऊपज के रूप में की गई मॉग को नकदी मांग में परिवर्तित करने के काम में लाए गए।

अकबर के प्रशासन के 30वें 33वें और 35वें वर्षों में मूल्यों के बहुत अधिक घट जाने के कारण दरें घटा दी गई। अकबर के समय गल्ला वख्स की प्रणाली प्रचलित थी वहॉ राज्य और किसान के बीच अनाज की बटाई हो जाती थी। राज्य राजस्व के रूप में ऊपज के आठवें भाग से तिहाई भाग तक की मांग करता था। दूसरे प्रकार की बटाई का भी व्यवहार होता था। उनमें से कुछ का अभिप्राय बटाई व्यवस्था की अन्तर्निष्ठ असुविधाओं को कम करना था। कभी–कभी खेतों में बंटवारे के चिन्ह लगा दिये जाते थे। और सम्भवतः राज्य खेतों के अपने भाग की फसलों की रखवाली और काटने की अपनी निजी व्यवस्था करता था।

रजामंदी हो जाने पर कूत से भी काम लिया जाता था। अतः कूत करने वाली खड़ी फसल का निरीक्षण करके सम्भाव्य उपज का अन्दाज लगाते थे। इस प्रकार अन्दाजा लगा लेने पर किसान राज्य को ऊपज का तिहाई भाग देनी की प्रतिज्ञा करता था।

नसक प्रणाली भी इस समय की महत्वपूर्ण राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत पिछले दस या बारह से भू–राजस्व दिया जाता था। उसके औसत पर राजस्व निर्धारित किया जाता था। परन्तु यदि भूमि में कोई सुधार हुआ रहता था तो इस पर भी ध्यान रखा जाता था। बोये हुए क्षेत्र अथवा बोई हुई फसल के आधार पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। इसमें किसी सर्वेक्षण या पैमाइश की आवश्यकता नही होती थी और न ही इसमें फसलों का आवर्ती विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती थी। इनके अतिरिक्त सामूहिक राजस्व प्रणाली group assesment भी थी। भू–राजस्व अधिकारियों और मुकद्दम में एक धनराशि पर समझौता हो जाता था और मुकद्दम किसानों से पूरा भू–राजस्व वसूल करते थे। लेकिन राजकोष में नकद रूपये जमा करते थे।

जैसे आजकल किसानों के द्वारा जमीदारों को दी जाने वाली लगान के रूप में तय की जाती है ठीक उसी प्रकार दी जाने वाली धनराशि और समझौते की अवधि उस समय तय की जाती थी। राज्य ऊपज का तिहाई भाग का दावा करता था। इसी प्रकार मुगल समाज में अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है। जैसे जागीरों की भूमि का भी राजस्व निर्धारण इसी प्रकार होता था। इस मामले में खलसा जमीनों और जागीरों में कोई अन्तर नहीं था। जागीरदार शाही अफसरों द्वारा निर्धारित और मुकद्दमों द्वारा संग्रहित भू–राजस्व वसूल करता था। सामान्य प्रथा के अनुसार अभिलेख शाही मंत्रालय में भेज दिये जाते थे। जागीरदार एक सैनिक या असैनिक अफसर होता था। जिसका वेतन उस आदेश के अनुसार दिया जाता था जो उसे उस क्षेत्र से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देता था जहॉ से ठीक उतनी ही धनराशि की प्राप्ति का अनुमान लगाया जाता था। जागीरदार को किसी एक स्थान में बहुत अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं दी जाती थीं। इन जागीर को मण्डलों के अनुसार विभाजित किया जाता था। जैसे इलाहाबाद मण्डल, अवध मण्डल, आगरा मण्डल आदि। इलाहाबाद मण्डल 15 राजस्व मण्डल में विभाजित था।

अवध में पूर्णतया जब्ती प्रणाली थी और वह बारह राजस्व मण्डलों में विभाजित था जबकि आगरा अट्ठाईस राजस्व मण्डलों में विभाजित था वहॉ भी भू–राजस्व जब्ती प्रणाली के अनुसार वसूल किया जाता था। इसी प्रकार अजमेर सात राजस्व मण्डलों में विभाजित किया गया था। यहॉ ऊपज का सातवॉं या आठवॉं ाग राजस्व के रूप में लिया जाता था। दिल्ली अट्ठाइस राजस्व मण्डलों मे विभाजित था। तथापि कुमाऊँ के लिए दरों की सूची अनुपल्बध है। वह इक्कीस महालों में विभाजित है इनमें पॉच महालो का भू–राजस्व अभी तक अनिर्धारित दिखाया गया है।

लाहौर में आठ राजस्व मण्डल थे और यहॉ का राजस्व क्षेत्रीयता के अनुसार अलग–अलग प्रणालियों से वसूल किया जाता था। इस मण्डल की रियासतें, कागड़ा जम्मू, मान, जसवल, गोलर, ददमाल, सिब्वा, मानकोट, जसरोठा, लगनपुर, शेर, कोट, पलडयों चम्वा तथा भैरीवाल और राजकृष्ण सम्मिलित थे।

मुल्तान के अधिकांश भाग में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी मालवा में मण्डलगढ़ एक स्वतन्त्र राज्य था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है गोगरान के सरकार में (मण्डलगढ़ का एक शासक) नकदी (नसक) प्रणाली प्रचलित थी उसके बारह महालो में छः की पैमाइश हुई और छः की नहीं हुई थी। पहले और अन्तिम परगनों के आकड़े (राजस्व) नकद (नसक) रूप में स्वीकार किये गये थे।

बिहार में जब्ती प्रणाली सामान्य थी। 119 परगनों में से 108 परगनों का इस प्रकार राजस्व निर्धारण किया गया था। और राजस्व का लगभग 81 प्रतिशत जब्ती प्रणाली के माध्यम से वसूल किया जाता था। बंगाल और उड़ीसा हमारे सामने विशेष समस्याएँ प्रस्तुत करते हैं यहॉ का अधिकांश भाग जहॉगीर और अन्य बादशाहों के समय में अधीन हुआ था। इससे अकबर के

समय यहाँ का राजस्व का कोई सही उल्लेख प्राप्त नहीं होता है कि यहाँ कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मिले स्त्रोतों से पता चलता है कि जब्ती और नसक प्रणाली संयुक्त रूप में प्रचलन में थी।

यद्यपि नसक प्रणाली में भूमि की पैमाइश नहीं मापी जाती थी तथापि उसमें अधिकारियों का अभिलेख तैयार करना बहुत जरूरी था जिसमें प्रत्येक किसान के सभी खेत और उन पर लगाए हुए भू–राजस्व अंकित रहते थे। 'नसक और जब्ती' दो नये शब्द थे जो अकबर के भू–राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रवर्तित किये गये थे। इस प्रकार टोडरमल ने पहले प्रत्येक किसान की भू–राजस्व देने की क्षमता की सूचना प्राप्त की तब उसने किसानों पर नसक प्रणाली लागू की।

गुजरात के सूबे में ईदर, बालगाना, राज पिपला, दुरगारपुर, सिरोही सोरठ, झालावार, कच्छ, नवंगर (नवनगर), मोहन, लोनावाह वर्षा, वहरिया, रानाबाद, जबरमण्डी, वंसवाडा, सोनी और रामनगर की रियासतें स्थित थीं।

बरार में मुगलों ने सामान्य राजस्व प्रणाली प्रचलित की। जबकि थट्टा के सूबे में फसलों की बटाई सामान्य थी राज्य ऊपज के तिहाई भाग की मांग करता था। किसान अपनी इच्छा के अनुसार ऊपज के रूप में नगद दे सकते थे परन्तु नकदी भुगतान करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता था।

देश का बहुत बड़ा भाग राजाओं के अधिकार में था जो किसानों से भू–राजस्व वसूल करते थे और मुगलों को खिराज देते थे। कश्मीर में कूत और बटाई भू–राजस्व निर्धारण की सामान्य शैली थी। राज्य ऊपज के आधे भाग का दावा करता था। सम्भवतया जहॉ जाफरान जैसी बहुमूल्य फसलें होती थी वहॉ राजस्व के कुछ भाग नकदी निर्धारण होता था। अच्छा राजस्व प्राप्त करने के लिए कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था। किसान को हर तरह की सुविधा प्रदान करना होता था भूमि के सर्वेक्षण और माप की प्रणाली में अकबर ने कुछ यान्त्रिक और अभिशासनिक परिवर्तन किये। अब से जरीब रस्सी की नहीं होती थी जो फैलाई जा सकती थी। उसकी जगह पर बास के लटठों का प्रयोग आरम्भ हुआ जिनके सिरों पर लोहे के छल्ले लगे रहते थे। साम्राज्य भर में समान लम्बाई की जरीब का प्रयोग आरम्भ किया गया। टोडरमल ने राजस्व निर्धारण एवं वसूली के सामान्य नियम बनाये। आपका राजस्व प्रणाली सुधार का स्वरूप केवल किसानों की समस्या को हल करना और विचौलियों को दूर करना था। इसके लिए टोडरमल ने हर गॉव में एक लिपिक रखने का निर्णय किया। जहॉ कहीं अधिक भू–राजस्व वसूल किया गया था वहॉ आदेश दिया गया कि अधिक धनराशि अगली फसल के राजस्व के मद में जमा कर दी जाए।

सर्वेक्षण और माप के कार्य में भी संशोधन किया गया। जब खेतों में फसलें खड़ी रहती थीं तब पूछताछ करके बोई हुई भूमि के क्षेत्रफल का पता लगाया जाता था। सर्वेक्षण–दलों को प्रतिदिन गर्मी में 250बीघों और जाड़े में 200 बीघों का सर्वेक्षण पूरा करना होता था। उनके भोजन का भत्ता भी नियमित होता था। जिन क्षेत्रों में बटाई की प्रणाली प्रचलित थी वहॉ फसलों की रखवाली के लिए आधा दाम प्रति बीघा की दर से भत्ता दिया जाता था।

शाहजहॉ के शासन–काल में सन् 1630 ई0 में गुजरात में अकालपड़ा जिसके कारण भू–राजस्व निर्धारण की जब्ती प्रणाली की अग्नि परीक्षा हुई। शाहजहॉ द्वारा दी गई छूटें भू–राजस्व के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं थी। औरंगजेब के शासन में 'खलकुस सयाक' में तीन प्रकार की भू–राजस्व प्रणालियों का उल्लेख मिलता है : जब्ती, कनकूत और बटाई। मीराते अहमदी के अनुसार गुजरात में नसक प्रणाली भी प्रचलित थी। राजस्व की दरें 1/2 और 1/7 के बीच में होती थीं। अकबर के शासन–काल की तरह सबसे नीची दर अजमेर में प्रचलित थीं। वहॉ भू–राजस्व ऊपज के रूप में दिया जाता था। सिन्ध और कश्मीर में ऊपज का तिहाई भाग लिया जाता था। कुछ यूरोपी यात्री सम्भवता बिना किसी आधार के कहते हैं कि मुगल सम्राज्य के कुछ भागों में ऊपज का 3/4 भाग भू–राजस्व के रूप में लिया जाता था। 'निगारनामामुंसी और मीराते अहमदी' इसका स्पष्ट और जोरदार खण्डन करते हैं।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 4.819
Volume 7, Issue 1, July 2020

निष्कर्ष – मुगलकाल में भू–राजस्व व्यवस्था क्षेत्रीयता जब समानता के आधार पर निर्भर थी त0यदि किसी क्षेत्र में कोई घटना जैसे बाढ़ सूखा युद्ध से फसल नष्ट भी होती थी या उपज नहीं होती थी तो उस क्षेत्र में राजस्व में छूट दी जाती थी। जब भूमि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के हाथ में जाती थी। तब भू–राजस्व वसूल करने के राज्य के अधिकार की रक्षा विस्तृत नियमों द्वारा होती थी। यदि स्वाभित्व प्राप्त करने के पश्चात उत्तराधिकारी या क्रेता के पास स्वयं खेती काने का समय होता था। तब वह स्वयं भू–राजस्व देता था। यदि पक्की फसल का खेत बेचा जाता था तो विक्रेता भू–राजस्व देता था यदि उत्तराधिकारी या क्रेता के पास खेती करने के लिए काफी समय नहीं होता था तो भू–राजस्व क्षमा कर दिया जाता था ऐसी दशा में पटटेदार और रेहानदार भी भू–राजस्व देते थे। जहॉ नगदी भू–राजस्व दिया जाता था और जहॉ बटाई प्रणाली से दिया जाता था दोनों स्थानों में यह नियम लागू होता था। जिससे किसी प्रकार से किसी के ऊपर अधिक भार न पड़े।

lUnHk

1. आइन–ए–अकबरी – भाग प्रथम पृ0– 347
2. आइन–ए–अकबरी – भाग प्रथम पृ0– 297
3. सी0एफ0 अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया, 84
4. अकबरनामा, भाग द्वितीय पृ0 333
5. सी0एफ नसक ऐज ए सिस्टम ऑफ लैण्ड रेब्रन्यू एसेसमेण्ट इन इण्डिया कल्चर जनवरी 1937 पृ0 543
6. अकबर नामा भाग–3 पृ0 117–118
7. दस्तूर उल–अमल, रामपुरी : फरंग–ए–करदानी– पृ0 32 बी ट् 33 ए
8. अकबरनामा भाग – 3, पृ0 583
9. सी0एफ–बंगाल अन्दर जहॉगीर, द इंग्लिश ऑफ बहारिस्तान ए गैबी ऑफ नाथन बाई द प्रजेन्ट राइटर इन जरनल आफ इण्डियन हिस्ट्री एण्ड आलरगे सफर जामा अब्दुल लतीफ एम0एस0 पर्सन
10. अगबर नामा–भाग 3 पृ0 65
11. निगार नामा–ए– मुन्सी पृ0 123
12. मिराती–ए– अहमदी, भाग प्रथम पृ0 268 से 272
13. स्मिथ अकबर द ग्रेट मुगल पृ0 140–141
14. अकबर नामा भाग – 3 पृ0 457 से 460
15. इरफान हबीब : द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इण्डिया
16. प्रो0 ब्रिज नारायन एण्ड श्री राम शर्मा – द इंग्लिश ट्रांसलेसन बाई डच टेक्स्ट
17. अगबर नाम भाग – 3 पृ0 463, 533 व 578
18. स्मिथ अकबर द ग्रेट मुगल पृ0 213